

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 372/2017/भरतपुर

सहायक आयुक्त,
वाणिज्यिक कर विभाग
वृत्त-ए, भरतपुर

अपीलार्थी

बनाम

श्री सुरेन्द्र पुत्र श्री महावीर सिंह,
निवासी- डी-82, जिन्द फेस,
ट्रान्स यमुना कॉलोनी, मथुरा (उ०प्र०)

प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री ओमकार सिंह आशिया, सदस्य

उपस्थित :

श्री अनिल पोखरणा,
उप राजकीय अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से
.....प्रत्यर्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित

दिनांक : 15.11.2018

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी विभाग द्वारा अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, भरतपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पारित अपीलीय आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक आयुक्त, वृत्त-ए, भरतपुर (जिसे आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा The Rajasthan Tax on Entry of Motor Vehicles into Local Areas Act, 1988 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 3, 6 एवं 7 के तहत आरोपित मांग राशि को अपास्त करते हुए अपील को स्वीकार किया है। अपीलीय अधिकारी एवं कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	अपील संख्या	अपीलीय आदेश का विवरण		कर निर्धारण आदेश का विवरण		कर बोर्ड के समक्ष विवादित		
		अपील संख्या	आदेश दिनांक	वर्ष	आदेश दिनांक	कर	ब्याज	शास्ति
1.	372/2017	64/RET/2016-17 /अ.प्र./भरतपुर	25.10.2016	-	09.08.2012	1,91,800	47,950	1000

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी द्वारा राज्य के बाहर की फर्म मै० आर०ए०मोटर्स प्रा० लि० कासगंज रोड़, एटा (उ.प्र.) से एक मोटर वाहन (ट्रक/ट्रेलर) जरिये बिल क्रमांक: RAMotE-R-1011-00078 दिनांक 30.04.2010 कीमतन रूपये 13,70,000/- में क्रय करके जिला परिवहन कार्यालय, भरतपुर से दिनांक 14.05.2010 को पंजीयन कराने पर परिवहन विभाग द्वारा वाहन संख्यांक RJ-05/GA-5846 आवंटित किया गया। वक्त पंजीयन उक्त वाहन पर अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत कर दायित्व होने के बावजूद प्रत्यर्थी द्वारा न तो वाणिज्यिक कर विभाग से Form ET-1 घोषणा-पत्र प्राप्त कर अन्तर कर चुकाया गया तथा न ही प्रपत्र ET-1 के अभाव में पूर्ण कर चुकाया गया। इस आधार पर सशक्त अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 3, 6 एवं 7 के अन्तर्गत प्रत्यर्थी को कारण बताओ

३१

निरन्तर.....2

23

The Rajasthan tax on Entry of Motor Vehicles into local Area Act, 1988- Time barred assessment-- The respondent is an individual, is not a tax payer and purchased a jeep for his own use on 17.01.1996 as stated by the Assessing Officer. Therefore, the Assessing Officer by a printed order passed assessment order 24.04.1998 and held the respondent liable to pay the entry tax under section 3, 6 and 7 of the Act of 1998 at Rs.10,340/-, Interest Rs. 5,377/- and Penalty Rs. 500/- Total Rs. 16,217/- . It is apparent from the

5. पञ्चवर्षीय का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। उल्लेखनीय है कि मोटर वाहनों में प्रवेश कर अधिनियम, 1988 की धारा 7 के अनुसार कर जमा करवाने, कर निर्धारण एवं मांग की बर्सेली आदि के संबंध में RST Act/RVAT Act के प्रावधान यथावत लागू होंगे। RVAT Act, 2003 के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक वाहन स्वामी आकास्मिक व्यवहारी (casual trader) की श्रेणी में आता है तथा ऐसे व्यवहारियों का कर निर्धारण धारा 28(4) के अनुसार दो वर्षों की समयवधि में पूर्ण कर दिया जाना चाहिये। सशक्त अधिकारी की पञ्चवर्षीय पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि वाहन स्वामी धारा 30 आर०एम०टी० 310 लियो कासगंज रोड, एट० (उ.प्र.) से उपर्युक्त वाहन दिनांक 30.04.2010 को क्रय किया एवं जिला परिवहन कार्यालय भरतपुर में पंजीयन करवाया गया है, जिसका कर निर्धारण आदेश सशक्त अधिकारी द्वारा दिनांक 09.08.2012 को पारित किया गया है। परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में यह कर निर्धारण इस समयवधि के लगभग तीन माह पश्चात् किया गया है, जो विधिक समयसीमा से बाहर है (barred by time limit)। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा गौणविक्रय कर अधिकांशी बचान 30 जगदीश प्रसाद, खैरतल व अन्य (36 टीएचडी पृष्ठ 161) में पारित निर्णय का न्याय सारांश निम्नप्रकार है :-

4. अधीनस्थ-राजस्व की ओर से विद्वान उष राजकीय अभिभाषक ने अधीनस्थ अधिकारी के आदेश को विधिविरुद्ध बताया एवं सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश को विधिसम्मत बताया है।
3. प्रत्येक व्यवहारी बावजूद नोटिस तामील के अनुपस्थित है। राजस्व की ओर से विद्वान उष राजकीय अभिभाषक की एकतरफा बहस सुनी गयी। प्रत्येक की ओर से किसी के उपस्थित नहीं होने के कारण न्यायवहित में प्रकरण का गुणावर्गण पर निर्णय किया जाता है।

अधीनस्थ-राजस्व द्वारा यह द्वितीय अधील पेश की गई है।
मांग को अपास्त कर दिया। अधीनस्थ अधिकारी के उक्त आदेश के विरुद्ध धारा अधीनस्थ अधिकारी के समक्ष अधील पेश करने पर अधीनस्थ अधिकारी ने आरोपित रूपये 2,40,750/- आरोपित की गई। सशक्त अधिकारी के उक्त आदेश के विरुद्ध प्रत्येक 1,000/- तथा देय प्रवेश कर जमा नहीं कराने पर ब्याज रूपये 47,950/- - कुल मांग कीमतन रूपये 13,70,000/- पर 14% से प्रवेश कर रूपये 1,91,800/- एवं शारित रूपये दिनांक 09.08.2012 के द्वारा प्रत्येक द्वारा राज्य के बाहर से खरीद कर लाये गये वाहन जवाब पेश नहीं किया गया। सशक्त अधिकारी द्वारा एकतरफा कार्यावाही करते हुए आदेश नोटिस दिनांक 20.07.2012 के लिए जारी किया गया, किन्तु बावजूद सूचना प्रत्येक द्वारा

perusal of the orders of the AO, DC(A) and Tax board, that the vehicle was purchased on 17.01.1996 but the assessment order was passed by the A.O. on 24.04.1998. The order was passed after more than two years and beyond the time limit contained in Section 10B(1) (3) of the Rajasthan Sales Tax Act, 1954. Both the learned DC(A) as also learned Tax Board came to a finding that order is time barred and could not have been passed after two years. Rajasthan High Court, Bench at Jaipur while dismissing the appeal of the department head that :-

" It is abundantly clear that the respondent can be said to be a causal trader as he was not doing any business and got the vehicle for his own use and falls within the provisions of Section 10B(i)(ii) and assessment was to be completed on or before two years of the transaction therefore, the Tax Board as well as the DC(A) were correct and justified in coming to the conclusion that the assessment made by the petitioner department is contrary to the provisions of the Act and was beyond time prescribed under the law and therefore, the assessment was rightly quashed and set-aside."

इसी प्रकार राजस्थान कर बोर्ड द्वारा अनेक निर्णयों में वाहन आयातकर्ता को आकस्मिक व्यवहारी मानते हुए यह निर्णीत किया है कि केजुअल डीलर्स के संबंध में ट्रांजेक्शन की तिथि से 2 वर्ष की अवधि में ही उसका कर निर्धारण किया जा सकता है। उक्त निर्णय निम्नलिखित हैं :-

1. सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट-तृतीय, वृत्त-ए कोटा बनाम मै0 सतनाम एस आनन्द, कोटा (2016) 44 टीयूडी पेज 251 निर्णय दिनांक 12.02.2016
2. सीटीओ बनाम मोहम्मद यासीन अपील संख्या 1139/2017/भरतपुर निर्णय दिनांक 08.10.2018
3. सीटीओ बनाम उदयवीर सिंह पुत्र श्री रघुवीर सिंह अपील संख्या 72/2017/भरतपुर निर्णय दिनांक 18.10.2018
4. सीटीओ बनाम विजेन्द्र सिंह पुत्र श्री लक्खी राम अपील संख्या 74/2017/भरतपुर निर्णय दिनांक 18.10.2018

6. विचाराधीन प्रकरण में अपीलीय अधिकारी ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम मै0 जगदीश प्रसाद, खैरथल व अन्य (36 टीयूडी पेज 161) में पारित निर्णय दिनांक 31.05.2013 के आधार पर अपील स्वीकार की है तथा व्यवहारी को केजुअल ट्रेडर मानते हुए कर निर्धारण आदेश पारित करने की समय सीमा 2 वर्ष मानी है तथा इस आधार पर कर निर्धारण आदेश को कालातीत माना है। विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील में मुख्य आधार यह लिया गया है कि ऐसे समान प्रकरण में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा एस.बी. सिविल एण्ट्री टैक्स रीविजन नं. 186/2007 सीटीओ निम्बाहेड़ा बनाम श्री मीरबहादुर निर्णय दिनांक 05.01.2009 में यह अवधारित किया है कि व्यवहारी को केजुअल ट्रेडर नहीं माना जा सकता तथा ऐसे मामलों में केजुअल ट्रेडर्स के कर निर्धारण के अनुसार समय सीमा नहीं मानी जा सकती। दोनों निर्णयों के अवलोकन से यह पता चलता है कि दोनों में विवाद का बिन्दु समान है। इस संबंध में विभिन्न न्यायिक दृष्टान्तों का अध्ययन करने पर यह पाया जाता है कि माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय की पूर्ण बेंच द्वारा Govindanaik G.Kalaghatigi vs West Patent Press Co. Ltd. And Anr. निर्णय दिनांक 26.02.1979 (AIR 1980 Karnataka 92) में निम्न प्रश्न निर्णय हेतु रेफर किया गया है :-



"When there is conflict between two decisions of the Supreme Court, is it the later of the two decisions or the decision of the larger of the Benches which rendered those decisions that should be followed by High Courts and other Courts in the Country?"

इस प्रश्न के संबंध में माननीय फुल बेंच द्वारा निम्न प्रकार अवधारित किया गया है :-


"If two decisions the Supreme Court on a question of law cannot be reconciled and one of them is by a larger Bench, the decision of the larger Bench, whether it is earlier or later in point of time, should be followed by High Courts and other Court. However, if both such Benches of the Supreme Court consist of equal number of Judges, the later of the two decisions should be followed by High Courts and other Courts"

इस प्रकार माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय की फुल बेंच ने यह अवधारित किया है कि यदि समान संख्या के माननीय न्यायधीशों की बेंच द्वारा पारित निर्णयों में विरोधाभास हो तो बाद की तिथि में पारित निर्णय का अनुसरण किया जाना चाहिए। इसी सिद्धांत को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों पर लागू किया जाये तो दोनों ही निर्णय माननीय एकलपीठ द्वारा पारित किये गये हैं जिसमें वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम मै० जगदीश प्रसाद, खैरथल व अन्य (36 टीयूडी पेज 161) में पारित निर्णय दिनांक 31.05.2013 बाद की तिथि में पारित निर्णय है, अतः इस एकलपीठ के विनम्र अभिमत में इस निर्णय दिनांक 31.05.2013 का अनुसरण किया जाना चाहिए।

7. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर यह निर्णीत किया जाता है कि प्रश्नगत मोटर वाहन राज्य के स्थानीय क्षेत्र में दिनांक 30.04.2010 को लाया गया था, जिसके कर दायित्व का निर्धारण दिनांक 29.04.2012 तक कर दिया जाना चाहिये था, परन्तु सक्षम अधिकारी द्वारा इस प्रकरण में दिनांक 09.08.2012 को आदेश पारित किया गया है, जो कि कालातीत है। अतः माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ एवं कर बोर्ड की विभिन्न एकलपीठों द्वारा पूर्व में पारित उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्तों के प्रकाश में विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार किये जाने योग्य है।

8. फलतः अपीलीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि की जाती है तथा अपीलार्थी-राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

9. निर्णय सुनाया गया ।


15.11.2018

(ओमकार सिंह आशिया)
सदस्य